न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/104/2019

शिवराज पुत्र गजराज, निवासी कपूरामलूका, तह0 बयाना, जिला भरतपुर।

बनाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 16.10.2019**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री शिवराज पुत्र गजराज, निवासी कपूरामलूका, तह0 बयाना, जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 16.08.2019 के द्वारा अति0 जिला कलक्टर भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। अति0 जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/810 दिनांक 20.09.2019 के द्वारा अति0 जिला कलक्टर भरतपुर से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में अति0 जिला कलक्टर भरतपुर से उनके पत्र कमांक/3723 दिनांक 26.09.2019 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं अति0 जिला कलक्टर भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने अति0 जिला कलक्टर भरतपुर से सूचनांऐं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। अति0 जिला कलक्टर भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक/3723 दिनांक 26.09.2019 का अवलोकन किया गया। अति0 जिला कलक्टर भरतपुर ने अपने जवाब में अंकित किया है कि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु सूचना शुल्क राजकोष में जमा करवाने बावत पत्र कमांक/3394 दिनांक 04.09.2019 से सूचित किया गया, परन्तु प्रार्थी द्वारा न तो राजकोष में शुल्क जमा कराया गया, न ही इस संबंध में कोई पत्राचार किया गया है। जबाब के साथ प्राप्त फोटो प्रति पत्र कमांक/3394 दिनांक 04.09.2019 जो कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को भेजा गया है के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सूचना शुल्क जमा कराये जाने हेतु लिखा गया है, परन्तु अपीलार्थी द्वारा सूचना शुल्क जमा नहीं कराया गया है। अतः अपीलार्थी वांछित सूचना शुल्क जमा कराकर सूचना प्राप्त कर सकता है।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (अति0 जिला कलक्टर भरतपुर से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे एवं निर्णय की प्रति अति0 जिला कलक्टर भरतपुर को भी भेजी जावे।

(डॉ. जोगाराम)
जिला कलक्टर,
भरतपुर